

जनपद - जालौन, उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट सं0 58, दिनांक -19.12.2020

थाना क्षेत्र कदौरा के इकौना जंगल में हुई हत्या की घटना से सम्बन्धित अभि0 जयराम, रामबाबू व हरीशचन्द्र मय आला कत्ल व हत्या में प्रयुक्त मारूती वैन गाड़ी के साथ गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कालपी के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.07.2020 को इकौना जंगल थाना कदौरा में घटित कालीचरन वैध नि0 मेरापुर थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर की हत्या के सम्बन्ध में घटना के अनावरण हेतु व अभि0गणों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना एट पुलिस, सर्विलांस सेल व एसओजी की संयुक्त टीम को लगाया गया था ।

दिनांक 19.12.2020 को पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में थाना एट, कदौरा पुलिस, सर्विलांस सेल व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 89/20 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को हमीरपुर जोल्हूपुर हाईवे पर उदनपुर गांव के आगे खुटमुली मोड़ पर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया ।

घटना का विवरण-

दिनांक 22.07.2020 को वादी श्री हरीशचन्द्र पुत्र कालीचरन वैध नि0 मु0 मेरापुर थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर की तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/20 धारा 302/201 भादवि बनाम ठाकुर साहब पुत्र अज्ञात नि0 कुरारा हमीरपुर जनपद हमीरपुर, वादी के पिता कालीचरन वैध की रस्सी से गला कसकर व मुंह कुचल कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

पूछताछ में अभि0 जयराम सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह ने बताया कि कालीचरन वैध जो मेरापुर हमीरपुर के रहने वाले है वैध जी से मेरी मुलाकात पत्नी के ईलाज कराने के दौरान हुई थी और इसी दर्मीयान मेरी वैध जी से मित्रता हो गई थी माह मई 2020 को मै अपनी पत्नी को ईलाज के लिये असवारमऊ थाना सजेती जनपद कानपुर नगर वैध जी के पास आया था जहाँ वैध जी ने मेरी पत्नी के साथ बुरा काम किया था उसी दिन से मै कालीचरन वैध को मारने की योजना बना रहा था योजना के तहत दिनांक 20.07.2020 को मै अपने मित्र रामबाबू को लेकर जनपद आगरा से अपने साढु हरिशचन्द्र उर्फ बड़े लल्लू नि0 ग्राम वागी थाना कदौरा जनपद जालौन मारूती वैन गाड़ी के साथ आया था दिनांक 21.07.2020 को मै अपने साढु हरिशचन्द्र व रामबाबू को साथ लेकर ईलाज के बहाने हमीरपुर वैध जी से मिलने आया था त्रिपाठी आयुर्वेदिक स्टोर निकट अमन शहीद चौराहा से वैध जी को अपनी मारूती वैन गाड़ी में बहाने से बैठा कर कुरारा आया था जहां पर वैध जी को शराब पिलाकर नशे में कर दिया था और इसके बाद ईकौना जंगल थाना क्षेत्र कदौरा मे ला कर वैध जी की रस्सी से गला कसकर व लोहे की छड़ से सर पर वार करके हत्या कर दी थी ।

थाना कदौरा, एट पुलिस, एस0ओ0जी0 व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम की सक्रियता से अभियोग का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त पुलिस टीम को 10,000 रु के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1- जयराम सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि0 शेखपुर थाना पैलानी जनपद बांदा
- 2- रामबाबू खगार पुत्र शिवबरन सिंह नि0 ग्राम भुलसी थाना सिसौलर जनपद हमीरपुर
- 3- हरिशचन्द्र उर्फ बड़े लल्लू पुत्र स्व0 जितेन्द्र सिंह नि0 ग्राम वागी थाना कदौरा जनपद जालौन

अभि0 गणों के अपराधिक इतिहास के विषय में जनपद जालौन व आसपास के जनपदों से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री विनय दिवाकर थाना एट
- 2-प्र0नि0 श्री प्रवीन कुमार प्रभारी एसओजी
- 3-उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल
- 4- उ0नि0 श्री गणेश प्रसाद मिश्रा थाना एट

- 5-उ0नि0 श्री कुल भुषण सिंह सर्विलांस सेल
- 6- उ0नि0 श्री चन्दन पाण्डेय एसओजी
- 7- उ0नि0 श्री धीरेन्द्र पटेरिया थाना कदौरा
- 8- का0 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल
- 9- का0 1036 गौरव बाजपेयी सर्विलांस सेल
- 10- का0 743 मनोज सोनकर सर्विलांस सेल
- 11- का0 1361 नीतू कुमार एसओजी0
- 12- का0 396 निरंजन सिंह एसओजी0
- 13-का0 405 श्रीराम प्रजापति एसओजी0
- 14-का0 1034 शैलेन्द्र चौहान एसओजी0
- 15-चालक का0 पुनीत कुमार एसओजी0
- 16-का0 06 अरविन्द्र थाना कदौरा
- 17-का0 1953 सूबेदार थाना कदौरा
- 18- आरक्षी चालक धर्मेन्द्र कुमार थाना कदौरा
- 19- का0 2039 भानू प्रताप सिंह थाना एट
- 20-का0 1463 अनुज कुमार थाना एट
- 21- आरक्षी चालक यदवेन्द्र वीर सिंह थाना एट